

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536 ] No. 536 ] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 1999/कार्तिक 10, 1921

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 1999/KARTIKA 10, 1921

### विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1999

सा.का.नि. 737( अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) की धारा 637क की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि—

- (क) कोई भी कंपनी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 620क के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी कहा गया है) के रूप में घोषित किया गया है, इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् ,
  - (i) चिटफंड, अवक्रय, बीमा का कारबार या शेयरों अथवा डिबेंचरों का कोई कारबार नहीं करेगी ;
  - (ii) उस जिले की, जिसमें उसका रिजस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी स्थान पर कोई नई शाखा नहीं खोलेगी;
  - (iii) अपने सदस्यों सहित कोई नया चालू खाता नहीं खोलेगी;
  - (jv) किसी निगमित निकाय या न्यास को सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं करेगी;
  - (v) दस रुपए से अधिक नाममात्र मूल्य के कोई नये साधारण शेयर जारी नहीं करेगी;
  - (vi) सदभाविक जमाकर्ता से भिन्न व्यक्तियों के चयनित समूह को कोई नये शेयर जारी नहीं करेगी;
  - (vii) किसी अन्य कंपनी के शेयरों का अर्जन करके या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के माध्यम से उसके नियंत्रण का अर्जन नहीं करेगी;
  - (viii) किसी ऐसे अन्य निगमित निकाय को, जिसका मुख्य उद्देश्य उधार लेकर या उधार देकर लाभ उपार्जित करना है, अपने नाम का उपयोग नहीं करने देगी;

- (ix) अपने सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति से कोई वित्तीय संव्यवहार नहीं करेगी;
- (x) किसी निगमित निकाय से और निक्षेप नहीं लेगी या और उधार नहीं देगी;
- (xi) अपने नाम पर उधार लेने या उधार देने से भिन्न कोई कारबार नहीं करेगी;
- (xii) अपने उधार लेने या उधार देने के क्रियाकलापों में किसी नई भागीदारी व्यवस्था को सम्मिलित नहीं करेगी;
- (xiii) उक्त निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी में सावधि जमा या आवर्ती जमा के रूप में अथवा स्वर्ण, रजत, आभूषण अथवा स्थावर संपत्ति के रूप में प्रतिभृति लिए बिना कोई नये ऋण या अग्रिम नहीं देगी;
- (xiv) इसके सदस्यों द्वारा इसके पास रखी गई किसी प्रकार की प्रतिभूति गिरवी नहीं रखेगी;
- (xv) किसी उधार लेने वाले को निम्नलिखित से अधिक ऋण या अग्रिम नहीं देगी-
- (अ) जहां ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी में सदस्यों द्वारा निक्षेप की कुल रकम दो करोड़ रुपए या कम है, वहां दो लाख रुपए;
- (आ) जहां ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी में सदस्यों द्वारा निक्षेप दो करोड़ से अधिक, किन्तु बीस करोड़ रुपए या कम है, वहां कुल निक्षेप का एक प्रतिशत या साढ़े सात लाख रुपए, जो भी कम हो;
- (इ) जहां ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी में सदस्यों द्वारा निक्षेप बीस करोड़ रुपए से अधिक, किन्तु पचास करोड़ रुपए या कम है वहां बारह लाख रुपए;
- (ई) जहां ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी में सदस्यों द्वारा किया गया निक्षेप पचास करोड़ रुपए से अधिक है, वहां पन्द्रह लाख रुपए :

परन्तु कोई भी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी किसी उधार लेने वाले को साढ़े सात लाख रुपए से अधिक का ऋण या अग्रिम नहीं देगी, यदि ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी ने पिछले तीन वर्षों में लाभ नहीं कमाया है।

(xvi) किसी भी कंपनी को बीस करोड़ रुपए से अधिक निक्षेप करने की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु ऐसे मामलों में जहां इस अधिसूचना की तारीख को निधि में इस सीमा से अधिक निक्षेप हैं, वहां वह ऐसी तारीख से और निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी।

परन्तु जहां निक्षेप ऊपर दी गई सीमाओं [यथास्थिति, बीस करोड़ रुपए या 30-09-1999 को निक्षेप] से अधिक है, वहां ऐसी कंपनी—

- (अ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी नहीं रह जाएगी;
- (आ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ के खंड (च) के अधीन गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी समझीं जाएंगी;
  - (xvii) उन राज्यों से, जहां उसके रिजस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित हैं, बाहर शाखाएं खोल सकेगी:

परन्तु ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी, जिसकी उस राज्य से, जिसमें उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, बाहर शाखाएं हैं, ऐसे राज्य से बाहर अवस्थित अपनी शाखाएं 30 सितंबर, 2002 से पूर्व बंद कर **देगी**;

- (xviii) ऐसे राज्य में, जहां उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, तीन से अधिक शाखाएं नहीं खोलेगी ;
  - (xix) ऐसे जिले में, जहां उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, तीन से अधिक शाखाएं नहीं खोलेगी :

परन्तु जहां ऐसी निधि या पारस्परिक सोसायटी के यथास्थित ऐसे राज्य या जिले में, जिसमें उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, तीन से अधिक शाखाएं हैं, वहां वह ऐसे राज्य या जिले की तीन शाखाओं से भिन्न सभी शाखाओं को 30 सितंबर, 2004 से पूर्व बंद कर देगी;

- (xx) अपनी साधारण बैठक में विशेष संकल्प पारित किए बिना और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना अपने प्रबंधन में परिवर्तन की व्यवस्था नहीं करेगी;
- (xxi) छह मास से कम अविध के लिए निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी;
- (xxii) किसी निदेशक को विद्यमान सीमाओं के अनुसार पन्द्रह लाख रुपए से अधिक ऋण मंजूर नहीं करेगी :

परन्तु उस मामले में जहां किसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी द्वारा किसी निदेशक को पन्द्रह लाख रुपए से अधिक ऋण दिया गया था, वहां ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी एक वर्ष की अविध के भीतर ऋण की कुल रकम को पन्द्रह लाख रुपए तक लाने के लिए अतिरिक्त ऋण वापस ले लेगी;

- (ख) ऐसी प्रत्येक निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्—
  - (i) यह सुनिश्चित करेगी कि इसके सदस्यों की संख्या किसी भी समय दो हजार से कम न हो;
  - (ii) कानूनी लेखा सपरीक्षक से प्रत्येक वर्ष प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी जिसमें यह प्रमाणित होगा कि इसने इस अधिसूचना में विनिर्दिग्द विदेशों का अनुपालन किया है और इसने लेखा के मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के अनुसार लेखा बहियां बनाये रखी हैं;
  - (iii) यह सुनिश्चित करेगी कि इसकी शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि और इसकी अधिमानी शेयर पूंजी का योग पच्चीस लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से कम नहीं है, जिसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु विद्यमान निधियां या पारस्परिक फायदा सोसायटियां 31 दिसंबर, 2002 से पूर्व पच्चीस लाख रुपए की उक्त न्यूनतम रकम को प्राप्त कर लेगी :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् उक्त अवधि को बढ़ा सकेगी;

(iv) यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी निधियों या पारस्परिक फायदा सोसायिटयों द्वारा स्वीकृत निक्षेपों और दिये गए ऋणों के संबंध में ब्याज की दरें, ऐसे विनियमों के अनुरूप है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

स्पष्टीकरण—''शुद्ध स्वामीत्वाधीन निधि'' का वहीं अर्थ होगा जो इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में समनुदेशित है।

(v) यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी में कोई व्यक्ति दस वर्ष से अधिक की निरन्तर अविध के लिए निदेशक का पद धारण करे;

परन्तु ऐसा निदेशक, निदेशक के पद को छोड़ने से दो वर्ष की अविध के पश्चात् पुन: नियुक्ति का पात्र होगा;

परन्तु यह और भी कि ऐसे मामले में, जब चालू वर्ष में तीन निदेशकों से अधिक निदेशक अपना पद रिक्त कर देते हैं, तो, ऐसे निदेशकों में से दो तिहाई उसी चालू वर्ष में अपना पद रिक्त करेंगे और एक तिहाई आगामी वर्ष में

- (vi) ऐसी निधि में प्रत्येक निक्षेप के आधे प्रतिशत का अन्तरण करके एक आकस्मिकता निधि बनाए रखेगी;
- (vii) इस खंड में उपखंड (vi) में निर्दिष्ट आकस्मिकता निधि की पूरी रकम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखेगी;
- (viii) दस जमाकर्ताओं से अधिक के निक्षेप के प्रतिदाय के व्यतिक्रम के मामले में, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी को अपने कामकाज को मानीटर करने की अनुज्ञा देगी;
- (ix) इस खंड के उपखंड (viii) के अधीन नियुक्त ऐसे विशेष अधिकारी द्वारा दिये गए निदेशों का अनुपालन करेगी;
- (x) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त लेखा संपरीक्षकों द्वारा विशेष लेखा संपरीक्षा कराने की अनुज्ञा देगी और ऐसे लेखा संपरीक्षक सरकार को निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे—
- (अ) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाणपत्र;
- (आ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुपालन में एक प्रमाणपत्र:

परन्तु प्रत्येक लेखा संपरीक्षक इस अधिसूचना में वर्णित अपेक्षाओं में से किसी के और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुपालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और केन्द्रीय सरकार को ब्योरेबार रिपोर्ट भेजेगा।

- 2. इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् इस अधिसूचना के खण्ड (क) के (i) से (xxii) तक के उपबंधों और खंड (ख) के (i) से (x) तक के उपखंडों में विनिर्दिष्ट निर्देश जहां तक हो सके, उक्त अधिनियम की धारा 620क के अधीन निधि या पारस्परिक फायदा सोसायटी के रूप में घोषित प्रत्येक कंपनी पर लागू होंगे।
- 3. केन्द्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् निधियों और पारस्परिक फायदा सोसायिटयों के उचित कामकाज के लिए निर्देशों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. 5/37/99-सी. एल.-V]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Department of Company Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1999

**G.S.R. 737(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby directs that—

- (a) No company declared as a Nidhi or Mutual Benefit Society under section 620A of the said Act, before the date of this notification (hereinafter referred to as such Nidhi or Mutual benefit Society) shall, after the publication of this notification,-
  - (i) carry on the business of chit fund, hire purchase, insurance or any business in shares or debentures;
  - (ii) open any new branch in any place outside the local limits of the district wherein its Registered Office is located;
  - (iii) open any new current account with its members;
  - (iv) admit as member any body corporate or trust;
  - (v) issue any new equity shares of nominal value exceeding rupees ten;
  - (vi) issue any new shares to any select group of persons other than bona fide depositors;
  - (vii) acquire control of any other company by way of acquisition of shares, or by composition of the Board of Directors of such company;
  - (viii) allow use of its name by any other body corporate whose main object is to earn profit by borrowing and lending;
  - (ix) enter into any financial dealing with any person other than its members;
  - (x) take further deposits from or lend further money to any body corporate;
  - (xi) carry on any business other than the business of borrowing or tending in its own name;

- (xii) enter into any new partnership arrangement in its borrowing or lending activities;
- (xiii) give any new loans or advances without the security in the form of fixed deposits or recurring deposits with the said Nidhi or Mutual Benefit Society or gold, silver, jewellery or immovable property;
- (xiv) pledge any type of security lodged with it by its members;
- (xv) give to any borrower loans or advances exceeding -
- (A) two lakhs rupees, where the total amount of deposits of such Nidhi or Mutual Benefit Society from its members are two crores rupees or less;
- (B) one percent of the total deposits or seven lakhs fifty thousand rupees, whichever is less, where deposits of such Nidhi or Mutual Benefit Society from its members are more than two crores rupees but are twenty crores rupees or less;
- twelve lakhs rupees, where the deposits of such Nidhi or Mutual Benefit Society from its members are more than twenty crores rupees but are fifty crores rupees or less;
- (D) fifteen lakhs rupees, where the deposits of such Nidhi or Mutual Benefit Society from its members are more than fifty, crores rupees.

Provided that no Nidhi or Mutual Benefit Society shall give to any borrower loans and advances exceeding seven lakhs fifty thousand rupees if such Nidhi or Mutual Benefit Society had not made profits in the three preceding years.

(xvi) be allowed to raise deposits beyond 20 crores of rupees but in the case of Nidhis having deposits beyond this limit on the date of this notification shall not accept further deposit from such date.

Provided that where the deposits exceed the above limits (rupees twenty cores or the deposits as on 30.09.1999 as the case may be) such company shall;

- (A) cease to be such Nidhi or Mutual Benefit Society, under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (B) be deemed to be a non-banking financial company under clause (f) of section 45-1 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- (xvii) have branches outside the states in which its Registered Office is situated:

 $\Rightarrow$ 

3213 91/99-2

Provided that such Nidhi or Mutual Benefit Society, having branches outside the State in which its Registered Office is situated, shall close before the 30<sup>th</sup> September, 2002, its branches situated outside such State;

- (xviii) have not more than three branches in a State in which its Registered Office is situated:
- (xix) have not more than three branches in a District in which its Registered Office is situated:

Provided that where such Nidhi or Mutual Benefit Society is having more than three branches in a State or District, as the case may be, in which its Registered Office is situated, it shall close before the 30th September 2004, all branches other than its three branches in such State or District;

- (xx) enter into any arrangement for the change of its management without a special resolution passed in its general meeting and approval of the Central Government;
- (xxi) accept deposit for a period of less than six months;
- (xxii) grant loan to a director for an amount exceeding fifteen lakh rupees as per the existing limits;

Provided that in a case where a director had been given a loan for an amount exceeding fifteen lakh rupees by any such Nidhi or Mutual Benefit Society, such Nidhi or Mutual Benefit Society shall recall the loan to bring the aggregate amount of loan to fifteen lakh rupees within a period of one year;

- (b) every such Nidhi or Mutual Benefit Society shall, after the publication of this notification -
- (i) ensure that its membership is not reduced to less than two thousand members at any time;
- obtain certificate every year from the statutory auditors certifying that it has complied with the directions specified in this notification and has maintained its books of account according to recognised principles of accounting;

(iii) ensure that the total of its net owned fund and its preference mare capital is not less than twenty five lakh rupees or such higher amount as the Central Government, may specify from time to time:

Provided that the existing Nidhis or Mutual Benefit Societies shall reach before the 31st day of December 2002, the said minimum amount of twenty five lakh rupees:

Provided further that the Central Government may, after recording the reasons in writing for so doing, extend the said period:

(iv) ensure that interest rates on deposits accepted by and loans given by such Nidhis or Mutual Benefit Society are in conformity with such regulations that may be issued by the Reserve Bank of India, from time to time.

<u>Explanation.</u>- "Net owned fund" shall have the same meaning as assigned to it in the Reserve Bank of India Act, 1934(2 of 1934);

(v) ensure that a person does not hold a post of a director in such Nidhi or Mutual Benefit Society for a continuous period of more than ten years:

Provided that such director shall be eligible for reappointment after the period of two years of ceasing to hold the post of director;

Provided further that in case more than three directors vacate their office in the current year, then, two thirds of such directors shall vacate their office in the same current year and one-third in the successive year.

- (vi) maintain a contingent fund by transferring half per cent. of each deposit to such fund;
- (vii) keep the entire amount in the contingent fund referred to in sub-clause (vi) of this clause, in any nationalised bank;
- (viii) in case of default in making refund of deposit to more than ten depositors, allow to monitor its working by a special officer appointed by the Central Government;
- (ix) comply with the directions given by such special officer appointed under sub-clause (viii) of this clause;
- (x) allow special audit to be conducted by the auditors appointed by the Central Government and such auditors shall furnish to that Government-
- (A) a certificate regarding compliance of all the requirements specified in this notification;

(B) a certificate complying with the provisions of sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956):

Provided that every auditor shall send a detailed report to the Reserve Bank of india and the Central Government for non-compliance of any of the requirements mentioned in this notification and provisions of sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

- 2. The directions specified in sub-clauses (i) to (xxii.) of clause (a) and sub-clauses (i) to (x) of clause (b) of this notification shall, as far as may be, apply to every company declared as a Nidhi or Mutual Benefit Society under section 620A of the said Act on or after the publication of this notification.
- 3. The Central Government if satisfied that the circumstances have arisen it is necessary in public interest and after recording the reasons in writing, may relax any of the directions for proper working of Nidhis or Mutual Benefit Societies.

[File No. 5/37/99-CL-V] R.D. JOSHI, Jt. Secy.